



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit

53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021
53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021

दूरभाष / Phone (0512)2630154
फैक्स / Fax (0512)2630214
ई-मेल / e-mail krap@nhai.org

NHAI/13028/PIU/KNP/Ch.378.236/NH-19/2022/10564

Date: 29 July, 2022

To,
Authorized Signatory,
M/s Torrent Gas (P) Ltd.,
3rd Floor, Sai Place,
HIG-IB, Chandra Vihar,
Lakhanpur,
Kanpur - 208002

Sub: Proposal for access permission to the proposed new CNG Station of M/s Torrent Gas (P) Ltd., in Km. 378 - 379 (Ch. 378.236, LHS) on NH-19 (Old NH-2) at Village - Rautiyapur, Pargana & Tehsil - Auraiya & District - Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

Ref: RO, Lucknow letter No. 19001/1/RO-W-UP/NH-19/Ch.378.236/NOC/1405 dtd. 16.06.2022

Sir,

This is regarding the proposal submitted by you for access permission to the proposed new CNG Station of M/s Torrent Gas (P) Ltd., in Km. 378 - 379 (Ch. 378.236, LHS) on NH-19 (Old NH-2) at Village - Rautiyapur, Pargana & Tehsil - Auraiya & District - Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

RO, Lucknow vide letter No. 19001/1/RO-W-UP/NH-19/Ch.378.236/NOC/1405 dtd. 16.06.2022 has accorded the "In - Principle" approval and provisional NOC subject to certain conditions (copy enclosed). The same is hereby forwarded for further necessary action & compliance as referred in RO letter dtd. 16.06.2022.

Encl: Referenced letter & Approved drawing.

Yours faithfully,

Aman Rohilla
(Aman Rohilla) 28/7/22
Project Director

Copy to:

1. District Magistrate, Auraiya for information.
2. Regional Officer (West)-UP, NHAI, 3/248, Vishal Khand, Gomati Nagar, Lucknow for kind information in compliance to RO letter 16.06.2022.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिम उपप्रो, लखनऊ Regional Office - West UP, Lucknow

3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

दूरभाष / Phone : 0522-4960291, टेलीफैक्स / Fax : 0522-4950680

ई-मेल / E-mail : rowestup@nhai.org, rowestup@gmail.com

19001/1/RO-W-UP/NH-19/Ch. 378.236/NOC/ 1405

Dated: 16.06.2022

To,

The Project Director,
National Highways Authority of India,
PIU- Kanpur (UP).

Sub: Proposal for access permission to the proposed new CNG Station of M/s Torrent Gas (P) Ltd., in Km. 378-379 (Ch. 378.236, LHS) on NH-19 (Old NH-2) at Village-Rautiyapur, Pargana & Tehsil-Auraiya, Distt.- Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

- Ref: 1. PD-Kanpur letter No. NHAI/13028/PIU/KNP/NH-19/NOC/2021/7891 dt. 24.12.2021.
2. This office letter No. 19001/1/RO-W-UP/NH-19/Ch. 378.236/NOC/1128 dt. 11.01.2022.
3. PD, PIU-Kanpur letter No. NHAI/13028/PIU/KNP/NH-19/2022/NOC/8818 dt. 07.03.2022.
4. MoRT&H Guidelines No. RW-NH-33032/01/2017-S&R(R) dt. 26.06.2020.
5. NHAI, HQ OM No. NHAI/HO/Access Permission/2020/73546 dt. 24.09.2020.

Sir,

Please refer to your letter dated 24.12.2021 and subsequent compliance vide letter dated 07.03.2022 (Ref.-3), vide which you have submitted the proposal for issuance of provisional NOC for access permission to the retail outlet mentioned in the aforesaid subject.

2. The above proposal has been examined in this office in light of Ministry's guidelines issued vide letter No. RW-NH-33032/01/2017-S&R(R) dated 26.06.2020. Based on the Drawings, Checklist and associated documents and compliance of Ministry's norms and further recommended by you, the proposal has been approved '*In principle*' by the Competent Authority, NHAI. The provisional NOC is being issued to the instant proposal, subject to the following conditions:

- (i) The Provisional NOC is being issued on the basis of deposition of Processing Fee Rs. 10,000/- on dated 22.10.2021 in "Bharat Kosh" by the applicant. However, PD-Kanpur is requested to get it conformed/verified the deposit receipts in compliance to this office letter No. 321 dt. 17.07.2020.
- (ii) Further, before issuance of NOC to the applicant, it is requested that to obtain Bank Guarantee amounting to Rs. 2,50,000/- with a validity of three years from the applicant towards successful completion of access as per MoRT&H Guidelines dated 26.06.2020.

Contd.....2/-

::2::

- (iii) The Drinking Water and Toilet Facilities shall be provided at the retail outlet. Such facilities shall be accessible to the public round the clock. In order to inform the public about these, a retro reflective display board as per format enclosed at Annex-I shall be installed at the buffer strip in-front of retail outlet.
- (iv) For drainage, RCC slab culvert with minimum span of 2m shall be provided as per IRC: SP: 13-2004 - "Guidelines for the design of small bridges and culverts". The slab culvert shall be constructed with iron grating of adequate strength in the approaches for drainage of surface water. It must be ensured that outfall of above said culverts shall be led away to a natural course/outfall sewer through culvert or led away to a water-recharging system specifically constructed by the owner/management of the fuel station/facility in case lined drains of sufficient length upto a natural course/outfall sewer are not available.
- (v) The applicant shall ensure the video recordings (before and after completion of construction work) of the site and that the work is done as per approved drawings.
- (vi) The approval is based on the submissions made by the Applicant as verified by the PD-Kanpur. The Applicant is responsible for the details provided in the application. The NHAI is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the applicant.
- (vii) Any unauthorized access from the National Highway shall be cut-off and necessary action be taken as per Ministry's guidelines.

3. The provisional NOC, however, shall be subject to the stipulations of the Ministry's Circular issued vide letter No. RW-NH-33032/01/2017-S&R(R) dated 26.06.2020.

4. The Oil Company may construct the access to the proposed retail outlet, as per approved drawings at their own cost within one (01) year of the issue of this Provisional NOC. After the construction as per approved drawings and the certification by the Project Director, PIU-Kanpur that the construction work has been carried out in compliance with the provisions approved, the issue of final formal permission including issuance of signed license deed may be considered as per latest Ministry's guidelines. In case the construction is not done in one year of the issue of this provisional NOC, the same shall be deemed to be cancelled, unless renewed by the Competent Authority. The concerned Oil Company would be allowed to energize the fuel station only after the final approval by the Competent Authority.

Contd.....3/-

::3::

5. The fresh License deed (duly indicating new NH No. along with chainage), in two originals duly certified by PD, PIU-Kanpur, as per the standard format given in Ministry's Circular, drawn on new stamp paper and duly signed by Authorized Signatory may be furnished at the time of issuance of final permission along with additional/difference License fee, if any.

In view of the above, a copy of Drawing (Layout and Drainage Plan) as approved by the Competent Authority is being enclosed herewith for taking necessary action.

This issues with the approval of Regional Officer-UP (West), Lucknow.

Encl: Approved drawings (.02 sets) & Annexure-1.


(S.K. Sharma) 15/6
GM (Tech.)
For RO-UP (West)

कार्यालय जिलाधिकारी, औरैया।

पत्रांक: 1532/डीएलआरसी-अनापत्ति प्रमाण पत्र/2022 दिनांक: 29 अगस्त, 2022

विषय:- टोरेन्ट गैस प्राइवेट लि० कानपुर के द्वारा ग्राम रौतियापुर तहसील औरैया के खाता संख्या-003, गाटा संख्या 449मि०, पर न्यू सी०एन०जी० स्टेशन की स्थापना हेतु विभागीय अनापत्ति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

3rd Floor, Sai Place HIG-IB Chandra
Vihar, Lakhanpur, Kanpur-208002

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-TGPA/GA-79/20-21/KNP/264 दिनांक 31.03.2021 व TGPL/GA-79/22-23/KNP/063 दिनांक 09.01.2020 के सन्दर्भ में उल्लिखित अवस्थित एवं पत्र के साथ संलग्न विधिवत हस्ताक्षरित एवं इस कार्यालय द्वारा मुद्रित आरेख में दर्शाये गये स्थान कि०मी० 378-379 (चैनेज 378.236 एल०आर०एस०) एन०एच०-19 पुराना-एन०एच०-2 ग्राम रौतियापुर तहसील औरैया खाता संख्या-003, गाटा संख्या 449मि० रकवा 0.2100 हे० पर न्यू सी०एन०जी० स्टेशन स्थापित करने हेतु पुलिस अधीक्षक औरैया/अग्निशमन अधिकारी औरैया/जिला पूर्ति अधिकारी औरैया/उप जिलाधिकारी, सदर औरैया/अधिशायी अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत वितरण खण्ड, औरैया/क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कानपुर/प्रभागीय वनाधिकारी औरैया से आख्याएं प्राप्त की गईं। निम्न विभागीय एवं अग्निशमन विभाग द्वारा दी गई शर्तें पूर्ण की जायें। मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं-

1. सी०एन०जी० स्टेशन (टोरेन्ट गैस) का निर्माण कार्य कि०मी० 378-379 (चैनेज 378.236 एल०आर०एस०) एन०एच०-19 पुराना-एन०एच०-2 ग्राम रौतियापुर तहसील औरैया खाता संख्या-003, गाटा संख्या 449मि० रकवा 0.2100 हे० पर जो मानचित्र में दर्शायी गई स्थिति के अनुसार किया जायेगा।
2. सी०एन०जी० स्टेशन (टोरेन्ट गैस) का निर्माण सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर किया जायेगा।
3. मार्ग पर निर्धारित दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट (सी०एन०जी० स्टेशन) नहीं होना चाहिए।
4. प्रार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके द्वारा बहाया गया जल, मल एवं किसी प्रकार की गन्दगी मार्ग की तरफ नहीं आयेगी। इसके निकास की पूर्व व्यवस्था प्रार्थी द्वारा की जावेगी।



5. आवेदक द्वारा सी0एन0जी0 स्टेशन का लेवल मार्ग के नये रिटेल आउटलेट (सी0एन0जी0 स्टेशन) के स्थल का लेबिल लेपित सतह से ऊंचा नहीं रखा जायेगा।
6. मानचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्ही भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. भविष्य में यदि सड़क का चौड़ीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो आवेदक की किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
9. किसी प्रकार की कोई स्थायी/अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।
10. सी0एन0जी0 स्टेशन के पहुंच मार्ग का रख रखाव टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
11. प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0-2148-1686 एवं आई0एस0-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0वी0/ई0एल0सी0वी0 का प्राविधान किया जाये।
12. सी0एन0जी0 का भण्डारण प्रक्रिया से कोई उत्प्रवाह जनित नहीं किया जायेगा तथा घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धीकरण सेप्टिक टैंक/सोकपिट द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
13. सी0एन0जी0 भण्डारण स्थल के चारों तरफ कम से कम तीन मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाए।
14. सी0एन0जी0 स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि संख्या 449मि0 रकवा 0.2100 हे0 को नियमानुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप होल्डर अथवा टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के पक्ष में लीज डीड/रजिस्ट्री कराना आवश्यक होगा।
15. सी0एन0जी0 स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि खाता संख्या-003मि0 की गाटा संख्या 449मि0 रकवा 0.2100 हे0 को दिनांक 05.07.2021 को अकृषक घोषित करा लिया गया है।

अतः जिलाधिकारी महोदय औरैया के आदेश दिनांक 29.08.2022 के अर्न्तगत पुलिस अधीक्षक औरैया की आख्या दिनांक 17.06.2021/उप जिलाधिकारी सदर औरैया की आख्या दिनांक 16.07.2022/जिला पूर्ति अधिकारी, औरैया की आख्या दिनांक 16.06.2022/अधिशारी-अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत



5. आवेदक द्वारा सी0एन0जी0 स्टेशन का लेवल मार्ग के नये रिटेल आउटलेट (सी0एन0जी0 स्टेशन) के स्थल का लेबिल लेपित सतह से ऊंचा नहीं रखा जायेगा।
6. मानचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्ही भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. भविष्य में यदि सड़क का चौड़ीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो आवेदक की किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
9. किसी प्रकार की कोई स्थायी/अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।
10. सी0एन0जी0 स्टेशन के पहुंच मार्ग का रख रखाव टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
11. प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0-2148-1686 एवं आई0एस0-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0वी0/ई0एल0सी0वी0 का प्राविधान किया जाये।
12. सी0एन0जी0 का भण्डारण प्रक्रिया से कोई उत्प्रवाह जनित नहीं किया जायेगा तथा घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धीकरण सेप्टिक टैंक/सोकपिट द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
13. सी0एन0जी0 भण्डारण स्थल के चारों तरफ कम से कम तीन मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाए।
14. सी0एन0जी0 स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि संख्या 449मि0 रकवा 0.2100 हे0 को नियमानुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप होल्डर अथवा टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के पक्ष में लीज डीड/रजिस्ट्री कराना आवश्यक होगा।
15. सी0एन0जी0 स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि खाता संख्या-003मि0 की गाटा संख्या 449मि0 रकवा 0.2100 हे0 को दिनांक 05.07.2021 को अकृषक घोषित करा लिया गया है।

अतः जिलाधिकारी महोदय औरैया के आदेश दिनांक 29.08.2022 के अर्न्तगत पुलिस अधीक्षक औरैया की आख्या दिनांक 17.06.2021/उप जिलाधिकारी सदर औरैया की आख्या दिनांक 16.07.2022/जिला पूर्ति अधिकारी, औरैया की आख्या दिनांक 16.06.2022/अधिशारी-अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत



वितरण खण्ड औरैया की आख्या दिनांक 16.06.2021/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर की आख्या दिनांक 04.06.2021/परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कानपुर की आख्या दिनांक 29.07.2022/प्रभागीय वनाधिकारी औरैया की आख्या दिनांक 29.07.2022/अग्निशमन अधिकारी औरैया की आख्या दिनांक 11.06.2021 की उपरोक्त आख्याओं एवं निर्देशों/अनुबन्धों का पालन करने की शर्तों के अधीन प्रस्तावित स्थान कि0मी0 378-379 (चैनेज 378.236 एल0आर0एस0) एन0एच0-19 पुराना-एन0एच0-2 ग्राम रौतियापुर तहसील औरैया की खाता संख्या-003, गाटा संख्या 449मि0 रकवा 0.2100 हे0 पर न्यू सी0एन0जी0 स्टेशन (टोरेन्ट गैस) स्थापित करने हेतु मानचित्र में दर्शायी गयी स्थिति के अनुसार आपके पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। भविष्य में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन संज्ञान में आने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



23/08
(रेखा एस0 चौहान)
अपर जिलाधिकारी,
औरैया।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल 63/4, संजय प्लेस केन्द्रालय आगरा ।
2. पुलिस अधीक्षक औरैया ।
3. जिला पूर्ति अधिकारी औरैया ।
4. उपजिलाधिकारी औरैया ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग औरैया ।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी औरैया ।
7. अधिशाषी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत वितरण खण्ड जनपद औरैया ।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 844 फतेहपुर रोशनाई रनियां कानपुर देहात ।
9. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई 53, बसंत विहार नौबस्ता कानपुर-208021

अपर जिलाधिकारी,
औरैया।